:: प्रारुप–11 ::

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– **जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि0मी0।**

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 3206/111 (2)/16–54(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 26.12.2016 द्वारा लम्बाई 7.000 कि0मी0 लागत रू0 23.59 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मार्ग एन0एच0 21 (309) काशीपुर – बुवाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 140.00 में स्थान स्यूँसी से आरम्भ होकर ग्राम आमकुलाऊ तक पहुचता है। इस मार्ग के निर्माण से 1.स्यूँसी 2. आमकुलाऊ ग्राम लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 555, व 119, है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 674 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाये पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

इस मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त 02 समरेखणों पर विचार किया गया है। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया समरेखण ग्राम – आमकुलाऊ को जोडेगा। इस समरेखण मे 7.000 कि0मी0 लम्बाई में सात हेयर पिन बैण्ड हैं। इस समरेखण का अधिकाश भाग नाप भूमि से गुजरता है, जिस हेतु ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गई है। इस समरेखण मे टैरेन कास स्लोब 25^0 से 60^0 तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली भूमियों में आरक्षित वन भूमि शून्य, सिविल वन भूमि 0.180 है0 वन पंचायत भूमि 0.810 है0 इस प्रकार कुल वन भूमि 0.990 है0 है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं नाप भूमि 5.310 है0 प्रयुक्त की जानी है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है। नक्शे मे बैंगनी रंग से दर्शाया गया समरेखण वैकल्पिक निरस्त समरेखण है। क्योंकि इस समरेखण मे मार्ग का ग्रेड अधिक होने के कारण तकनीकी रूप से उपयुक्त नही है एवं मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी। उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 02 को निरस्त कर समरेखण नं0 01 को अनुमोदित किया जाता है।

वनभूमि हस्तानान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी वन प्रभाग
पौड़ी

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल)	बैजरो (गढ़वाल)	बैजरो (गढ़वाल)

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पूर्वी अमेली थलीसैण
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी